टेलीफोन जिले के लिए एक टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन किया जाता है।

(ख) दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समिति का कार्य-काल दो वर्षों का है। दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन/पुर्नगठन एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि इसका कार्य-काल केवल 2 वर्षों का है और समय-समय पर अतिरिक्त टेलीफोन जिले टेलीफोन सलाहकार समिति के लिए पात्र बन जाते हैं।

(ग) दिनांक 1.1.94 से 30.4.94 के बीच निम्नलिखित टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन/पुर्नगठन किया गया:—

असम	**गोवा**	**अरूणाचल प्रदेश**
असम	गोवा और	अरूणाचल
गुवाहाटी	पणजिम	प्रदेश
बिहार	**हरियाणा**	**मणिपुर**
बिहार	हरियाणा	इम्फाल
	हिसार	
	रोहतक	
	फरीदाबाद	
जम्मू और कश्मीर	**पंजाब**	
जम्मू और कश्मीर	अमृतसर	
श्रीनगर	लुधियाना	
जम्मू	पठानकोट	
मध्य प्रदेश		
रायपुर		

हिमाचल प्रदेश में मुख्य डाकघर

6377. **श्री सुशील बरोंगपा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभाग के विद्यमान मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक जिले में मुख्य डाकघर होना चाहिए और पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में नियमों में रियायत देकर उप-डाकघर का दर्जा बढ़ाकर मुख्य डाकघर कर दिया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश के केवल लाहौल और स्पीति जिलों में मुख्य डाकघर न बनाये जाने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) मौजूदा विभागीय मानदंडों के अनुसार, यदि किसी जिले में कोई प्रधान डाकघर नहीं है, तो वहां प्रधान डाकघर खोलने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि उसके साथ उसी जिले के कम से कम 20 उप डाकघर सम्बद्ध किए जा सकें, और कि अवशिष्ट प्रधान डाकघर के साथ शेष उप डाकघरों की संख्या 20 से कम न होने पाए। पिछड़े क्षेत्रों के मामले में मानदंडों में ढील दी जा सकती है यदि प्रधान डाकघर कार्य-प्रचालन और प्रशासनिक दृष्टि से अन्यथा औचित्यपूर्ण पाया जाए।

(ख) लाहौल और स्पीति जिले के जिला मुख्यालय के लांग में उप-डाकघर का प्रधान डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने के मामले की जांच की जा रही है।

Telecom Policy

6378. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Telecom policy is proposed to be announced soon;

(b) whether any disinvestment was done by selling shares to LIC/UTI; and

(c) if so, what is the progress and for how much period and on what condition the employees can be sent on deputation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise as the new Telecom Policy has not been announced so far.

एस० टी० डी० कोड नम्बर

6379. **श्री गोविन्दराव आदिक:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा फरीदाबाद और अहमदाबाद के एस०टी०डी० कोड नम्बरों में परिवर्तन कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अलग-अलग शहरों के लिए कोड नम्बर तीन अंकों से आठ अंकों तक के होते हैं;